

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 16(46)एमई/1/2008पार्ट

जयपुर, दिनांक 27 NOV 2015


आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (एमए) नियम, 2013 के अर्न्तगत अधिकृत निजी चिकित्सालय के द्वारा राज्य सरकार से किये गये एमओयू में अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत निजी चिकित्सालयों की मोनिटरिंग करने के लिए निम्नांकित व्यक्तियों की एक समिति गठित की जाती है, जो संबंधित जिला कलेक्टर से समन्वय कर अधिकृत निजी चिकित्सालयों का मौका मुआयना कर एमओयू की शर्तों की पालना सुनिश्चित करायेंगे:-

1. संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक
2. संबंधित मेडिकल कॉलेज के वित्तीय सलाहकार
3. विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ आचार्य संबंधित सुपर स्पेशियलिटी


उक्त समिति हर दो माह में इस विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश से,


(सम्पत मल लोढा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सहायक, शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक/वित्तीय सलाहकार।
6. सभी अधिकृत निजी चिकित्सालय।
7. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव